2018 का विधेयक सं. 14

राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

निजी विश्वविद्यालयों की विधियों को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "निजी विश्वविद्यालय की विधि" से अनुसूची में विनिर्दिष्ट निजी विश्वविद्यालय अधिनियम अभिप्रेत है; और

(ख) "अनुसूची" से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है।

3. निजी विश्वविद्यालयों की विधियों की धारा 13 का संशोधन.- निजी विश्वविद्यालयों की विधियों की विद्यमान धारा 13 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**13. प्रेसीडेन्ट.-** (1) प्रेसीडेन्ट की नियुक्ति प्रबंध बोर्ड द्वारा सिफारिश किये गये कम से कम तीन और पांच से अनधिक व्यक्तियों के एक पैनल में से चेयरपर्सन द्वारा की जायेगी।

(2) कोई भी व्यक्ति प्रेसीडेन्ट के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा जब तक कि वह किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् नहीं है।

(3) प्रेसीडेन्ट की पदावधि उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष या उसके सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी:

परन्तु वही व्यक्ति पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तु यह और कि प्रेसीडेन्ट, उसके पद की अवधि समाप्त होने पर भी तब तक पद धारित करेगा जब तक कि उसका पदोत्तरवर्ती पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

(4) प्रेसीडेन्ट के चयन के प्रयोजन के लिए, प्रबंध बोर्ड किसी लोक सूचना के माध्यम से पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेगा और प्रेसीडेन्ट के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के नामों पर विचार करते समय, प्रबंध बोर्ड, शैक्षणिक उत्कृष्टता, देश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में प्रदर्शन, और शैक्षणिक तथा प्रशासनिक शासन में पर्याप्त अनुभव को उचित महत्व देगा और अपने निष्कर्षों को लेखबद्ध करेगा और उन्हें चेयरपर्सन को प्रस्तुत किये जाने वाले पैनल के साथ रखेगा।

(5) प्रेसीडेन्ट के पद की कोई रिक्ति ऐसी रिक्ति की तारीख से छह मास के भीतर-भीतर भरी जायेगी।

(6) प्रेसीडेन्ट, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का साधारण अधीक्षण और नियंत्रण करेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों का निष्पादन करेगा।

(7) प्रेसीडेन्ट, चेयरपर्सन की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(8) यदि, प्रेसीडेन्ट की राय में किसी भी ऐसे मामले में तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो जिसके लिए शक्तियां इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी भी अन्य प्राधिकारी को प्रदत्त की गयी हैं तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात्अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को करेगा जिसने सामान्य अनुक्रम में मामले को निपटाया होता:

परन्तु यदि संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी की राय में ऐसी कार्रवाई प्रेसीडेन्ट द्वारा नहीं की जानी चाहिए थी तो ऐसा मामला चेयरपर्सन को निर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा:

परन्तु यह और कि जहां प्रेसीडेन्ट द्वारा की गयी ऐसी कोई भी कार्रवाई विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करती है तो ऐसा व्यक्ति, उसे संसूचित ऐसी कार्रवाई की तारीख से तीन मास के भीतर-भीतर प्रबंध बोर्ड को अपील करने का हकदार होगा और प्रबंध बोर्ड, प्रेसीडेन्ट द्वारा की गयी कार्रवाई को पुष्ट या उपांतरित कर सकेगा या उलट सकेगा।

(9) यदि, प्रेसीडेन्ट की राय में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई भी विनिश्चय इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों, आर्डिनेंसों, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के बाहर है या उससे विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है तो वह संबंधित प्राधिकारी को उसके विनिश्चय की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर-भीतर विनिश्चय का पुनरीक्षण करने का निदेश दे सकेगा और यदि ऐसा प्राधिकारी ऐसे विनिश्चय का पुनरीक्षण करने से इंकार करता है या विफल रहता है तो ऐसा मामला चेयरपर्सन को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(10) प्रेसीडेन्ट ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या आर्डिनेंसों द्वारा विहित किये जायें।

(11) यदि चेयरपर्सन का, उसको किये गये किसी अभ्यावेदन पर या अन्यथा की गयी या करवायी गयी जांच पर यह समाधान हो जाये कि प्रेसीडेन्ट का उसके पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल है या उस स्थिति में ऐसा अपेक्षित हो तो वह लिखित आदेश द्वारा, उसमें ऐसा करने के कारणों को वर्णित करते हुए, प्रेसीडेन्ट से ऐसी तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, उसका पद छोड़ने के लिए कह सकेगा:

परन्तु इस उप-धारा के अधीन कोई कार्रवाई करने के पूर्व प्रेसीडेन्ट को सुनवाई का अवसर दिया जायेगा।"।

4. 2013 के राजस्थान अधिनियम सं. 33 की अनुसूची-2 का संशोधन.- ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, चूरू अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सं. 33) की अनुसूची-2 में विद्यमान प्रविष्टि सं. 6 हटायी जायेगी।

5. 2011 के राजस्थान अधिनियम सं. 26 की उद्देशिका का संशोधन.- आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं. 26), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की उद्देशिका में विद्यमान अभिव्यक्ति "इन्स्टीट्यूट आफ चार्टेड फाइनेंसियल एनालिस्ट्स आफ इंडिया (आई.सी.एफ.ए.आई.)", जहां कहीं भी आयी है, के स्थान पर, अभिव्यक्ति "आई.सी.एफ.ए.आई. सोसाइटी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

6. 2011 के राजस्थान अधिनियम सं. 26 की धारा 2 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (प) में विद्यमान अभिव्यक्ति "इन्स्टीट्यूट आफ चार्टेड फाइनेंसियल एनालिस्ट्स आफ इंडिया (आई.सी.एफ.ए.आई.)" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "आई.सी.एफ.ए.आई. सोसाइटी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

क्र.सं.	**नाम**	**अधिनियम सं.**
1.	सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2008	2008 का 4
2.	जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2008	2008 का 5
3.	सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी (झुंझुनू) अधिनियम, 2008	2008 का 6
4.	निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर अधिनियम, 2008	2008 का 7

5.	एमिटी विश्वविद्यालय राजस्थान, जयपुर अधिनियम, 2008	2008 का 8
6.	सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2008	2008 का 16
7.	ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2008	2008 का 17
8.	भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर अधिनियम, 2008	2008 का 18
9.	जगन्नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2008	2008 का 19
10.	महात्मा ज्योतिराव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2009	2009 का 3
11.	मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़ अधिनियम, 2009	2009 का 4
12.	श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल विश्वविद्यालय, चुडेला (झुन्झुनू) अधिनियम, 2009	2009 का 5
13.	जोधपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2009	2009 का 6
14.	श्रीधर विश्वविद्यालय, बिगोदना (झुन्झुनू) अधिनियम, 2010	2010 का 4
15.	एन.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) अधिनियम, 2010	2010 का 5
16.	होम्योपैथी विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2010	2010 का 6
17.	डा. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, निवाई (टोंक) अधिनियम, 2010	2010 का 8
18.	पेसिफिक उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2010	2010 का 10
19.	रेफल्स विश्वविद्यालय, नीमराना (अलवर) अधिनियम, 2011	2011 का 3

20.	जे.के. लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2011	2011 का 19
21.	प्रताप विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2011	2011 का 20
22.	मणिपाल विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2011	2011 का 21
23.	महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2011	2011 का 22
24.	सनराइज विश्वविद्यालय, बगड़ राजपूत (अलवर) अधिनियम, 2011	2011 का 25
25.	आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2011	2011 का 26
26.	गीतांजली विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2012	2012 का 4
27.	अभियांत्रिकी और प्रबंधन विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2012	2012 का 5
28.	महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2012	2012 का 6
29.	वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2012	2012 का 11
30.	कैरियर पाइन्ट विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 2012	2012 का 13
31.	संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा अधिनियम, 2012	2012 का 14
32.	जे.ई.सी.आर.सी. विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2012	2012 का 15
33.	पूर्णिमा विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2012	2012 का 16
34.	मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) अधिनियम, 2013	2013 का 29
35.	टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर अधिनियम, 2013	2013 का 32
36.	ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, चूरू अधिनियम, 2013	2013 का 33

37.	मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2013	2013 का 35
38.	आई.आई.एच.एम.आर. विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2014	2014 का 3
39.	पेसिफिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2014	2014 का 6
40.	माधव विश्वविद्यालय, पिंडवाड़ा (सिरोही) अधिनियम, 2014	2014 का 7
41.	आर.एन.बी. ग्लोबल विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 2015	2015 का 20
42.	भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2015	2015 का 23
43.	महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2015	2015 का 25
44.	साई तिरुपति विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2016	2016 का 9
45.	निर्वाण विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2017	2017 का 2
46.	प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2017	2017 का 28

———————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कुलपति के पद के लिए अवधारित की गई न्यूनतम अर्हता और अनुभव के क्रियान्वयन के लिए, निजी विश्वविद्यालयों में प्रेसीडेन्ट के पद पर, राजस्थान के सभी 46 निजी विश्वविद्यालयों के अधिनियमों की धारा 13 संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2011 के अधीन स्थापित आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय के प्रायोजक निकाय का नाम "इन्स्टीट्यूट आफ चार्टेड फाइनेंसियल एनालिस्ट्स आफ इंडिया" से "आई.सी.एफ.ए.आई. सोसाइटी" परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है और तदनुसार अधिनियम की उद्देशिका और धारा 2(प) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका सं. 7062/2015 दी इन्स्टीट्यूट आफ चार्टेड अकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया बनाम राजस्थान राज्य, ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, चूरू और अन्य में पारित विनिश्चय दिनांक 9.1.2017 की अनुपालना में ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, चूरू अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सं. 33) की अनुसूची-2 से प्रविष्टि सं. 6 भी हटायी जानी प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।
अत: विधेयक प्रस्तुत है।

किरण माहेश्वरी,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियों से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

13. प्रेसीडेन्ट.- (1) प्रेसीडेन्ट की नियुक्ति प्रबंध बोर्ड द्वारा सिफारिश किये गये तीन व्यक्तियों के पैनल में से चेयरपर्सन द्वारा की जायेगी और वह उप-धारा (8) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेगा:

परन्तु तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् वह व्यक्ति तीन वर्ष की अन्य अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तु यह और कि प्रेसीडेन्ट उसकी अवधि समाप्त होने पर भी तब तक पद धारित करेगा जब तक कि उसका पदोत्तरवर्ती पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

(2) प्रेसीडेन्ट के पद की कोई रिक्ति ऐसी रिक्ति की तारीख से छह मास के भीतर-भीतर भरी जायेगी।

(3) प्रेसीडेन्ट विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का साधारण अधीक्षण और नियंत्रण करेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों का निष्पादन करेगा।

(4) प्रेसीडेन्ट, चेयरपर्सन की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(5) यदि प्रेसीडेन्ट की राय में किसी भी ऐसे मामले में तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो जिसके लिए शक्तियां इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी भी अन्य प्राधिकारी को प्रदत्त की गयी हैं तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात्अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र अवसर पर ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को करेगा जिसने सामान्य अनुक्रम में मामले को निपटाया होता:

परन्तु यदि संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी की राय में ऐसी कार्रवाई प्रेसीडेन्ट द्वारा नहीं की जानी चाहिए थी तो ऐसा मामला

चेयरपर्सन को निर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा:

परन्तु यह और कि जहां प्रेसीडेन्ट द्वारा की गयी ऐसी कोई भी कार्रवाई विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करती है तो ऐसा व्यक्ति, उसे संसूचित ऐसी कार्रवाई की तारीख से तीन मास के भीतर-भीतर प्रबंध बोर्ड को अपील करने का हकदार होगा और प्रबंध बोर्ड, प्रेसीडेन्ट द्वारा की गयी कार्रवाई को पुष्ट या उपांतरित कर सकेगा या उलट सकेगा।

(6) यदि, प्रेसीडेन्ट की राय में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई भी विनिश्चय इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों, आर्डिनेंसों, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के बाहर है या उससे विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है तो वह संबंधित प्राधिकारी को उसके विनिश्चय की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर-भीतर विनिश्चय का पुनरीक्षण करने का निदेश दे सकेगा और यदि वह प्राधिकारी ऐसे विनिश्चय का पुनरीक्षण करने से इन्कार करता है या विफल रहता है तो ऐसा मामला चेयरपर्सन को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(7) प्रेसीडेन्ट ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या आर्डिनेंसों द्वारा विहित किये जायें।

(8) यदि चेयरपर्सन का, उसको किये गये किसी अभ्यावेदन पर या अन्यथा की गयी या करवायी गयी जांच पर यह समाधान हो जाये कि प्रेसीडेन्ट का उसके पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल है या उस स्थिति में ऐसा अपेक्षित हो तो वह लिखित आदेश द्वारा, उसमें ऐसा करने के कारणों को वर्णित करते हुए, प्रेसीडेन्ट से ऐसी तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, उसका पद छोड़ने के लिए कह सकेगा:

परन्तु इस उप-धारा के अधीन कोई कार्रवाई करने के पूर्व प्रेसीडेन्ट को सुनवाई का अवसर दिया जायेगा।

XX XX XX XX XX

ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, चूरू अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सं. 33) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

अनुसूची-2

शाखाएं जिनमें विश्वविद्यालय अध्ययन और अनुसंधान का जिम्मा लेगा :

1. अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी
2. स्थापत्यकला और नगर योजना
3. कम्प्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोग
4. आधारभूत और अनुप्रयुक्त विज्ञान
5. प्रबंधन और वाणिज्य
6. चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट और कम्पनी सचिवीय वृत्ति
7. अन्तरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय व्यापार और कारबार अध्ययन
8. मानविकी और सामाजिक विज्ञान
9. कला, दृश्य और ललित कलाएं
10. जादू और लोक कला
11. फैशन डिजाइन और प्रौद्योगिकी
12. विधि और विधिक अध्ययन
13. शिक्षा और शारीरिक शिक्षा
14. पुस्तकालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी
15. पत्रकारिता और जनसंचार
16. इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया
17. औषधनिर्माण विज्ञान और नर्सिंग
18. पर्यावरणीय विज्ञान
19. भू-विज्ञान
20. जीवन विज्ञान और योग
21. अन्तरिक्ष और खगोलीय विज्ञान
22. खाद्य और पोषण विज्ञान

23. चिकित्सा और औषध विज्ञान
24. आयुर्वेदिक विज्ञान
25. फिजियोथैरेपी
26. होम्योपैथी विज्ञान
27. पशुचिकित्सा विज्ञान
28. पुस्तकालय विज्ञान
29. भारतीय और विदेशी भाषाएं
30. भारतीय पारम्परिक पौराणिक शास्त्र एवं वैदिक विज्ञान

XX XX XX XX XX

आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं. 26) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

राजस्थान राज्य में आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना और निगमन के लिए और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

यतः विश्व और देश में ज्ञान के सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास के साथ-साथ कदम मिलाने को दृष्टि में रखते हुए युवाओं को उनके निकटतम स्थान पर अधुनातन शैक्षणिक सुविधाओं का उपबंध करने के लिए राज्य में विश्व स्तरीय आधुनिक अनुसंधान और अध्ययन सुविधाओं का सृजन करना आवश्यक है जिससे उन्हें विश्व की उदार आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में मानव संसाधनों से संगत बनाया जा सके;

और यतः, ज्ञान के क्षेत्र में तीव्र प्रगति और मानव संसाधनों की परिवर्तनशील अपेक्षाओं से यह आवश्यक हो गया है कि शैक्षणिक अनुसंधान और विकास की ऐसी संसाधनपूर्ण और त्वरित और उत्तरदायी प्रणाली सृजित की जाये जो एक आवश्यक विनियामक व्यवस्था के अधीन उद्यमितापूर्ण उत्साह से कार्य कर सके और ऐसी प्रणाली, उच्चतर शिक्षा में कार्यरत पर्याप्त संसाधन और अनुभव रखने वाली प्राइवेट संस्थाओं को विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए अनुज्ञात करने से और ऐसे विश्वविद्यालयों को ऐसे विनियामक उपबंधों से, जो ऐसी संस्थाओं के कुशल कार्यकरण को सुनिश्चित करें, निगमित करने से सृजित की जा सकती है;

और यतः, इन्स्टीट्यूट आफ चार्टेड फाइनेंसियल एनालिस्ट्स आफ इंडिया (आई.सी.एफ.ए.आई.), हैदराबाद जो आन्ध्रप्रदेश (तेलंगाना एरियाज) पब्लिक सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1350 फासली, (एक्ट I आफ 1350 एफ) के अधीन रजिस्ट्रार आफ सोसाइटीज, हैदराबाद के कार्यालय में 1984 के रजिस्ट्रीकरण सं. 1602, दिनांक 20.10.1984 द्वारा रजिस्ट्रीकृत एक लोक न्यास है;

और यतः, उक्त इन्स्टीट्यूट आफ चार्टेड फाइनेंसियल एनालिस्ट्स आफ इंडिया (आई.सी.एफ.ए.आई.), हैदराबाद ने राजस्थान राज्य में ग्राम जामडोली, तहसील जयपुर, जिला जयपुर में अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट भौतिक और शैक्षणिक दोनों प्रकार की शैक्षिक अवसंरचनाएं स्थापित कर ली हैं और अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट शाखाओं में अनुसंधान और अध्ययन के लिए एक विश्वविद्यालय में उक्त अवसंरचना का विनिधान करने के लिए सहमत हो गया है और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विन्यास निधि की स्थापना में उपयोजित किये जाने के लिए दो करोड़ रुपये की रकम भी जमा करा दी है;

और यतः, उपर्युक्त अवसंरचना की पर्याप्तता की जांच राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त समिति द्वारा कर ली गयी है जिसके सदस्य कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा राजस्थान, जयपुर, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, निदेशक, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्यौगिकी संस्थान, जयपुर और संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर थे;

और यतः, यदि उपर्युक्त अवसंरचना का उपयोजन विश्वविद्यालय के रूप में निगमन में किया जाता है और उक्त इन्स्टीट्यूट आफ चार्टेड फाइनेंसियल एनालिस्ट्स आफ इंडिया, (आई.सी.एफ.ए.आई.) हैदराबाद को विश्वविद्यालय चलाने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तो इससे राज्य की जनता के शैक्षणिक विकास में योगदान होगा;

XX XX XX XX XX

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) से (न) XX XX XX XX XX

(प) "प्रायोजक निकाय" से इन्स्टीट्यूट आफ चार्टेड फाइनेंसियल एनालिस्ट्स आफ इंडिया (आई.सी.एफ.ए.आई.), हैदराबाद जो आन्ध्रप्रदेश (तेलंगाना एरियाज) पब्लिक सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1350 फासली, (एक्ट I आफ 1350 एफ) के अधीन रजिस्ट्रार आफ सोसाइटीज, हैदराबाद के कार्यालय में 1984 के रजिस्ट्रीकरण

सं. 1602, दिनांक 20.10.1984 द्वारा रजिस्ट्रीकृत एक लोक न्यास है, अभिप्रेत है;

(फ) से (यक) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

Bill No. 14 of 2018

THE RAJASTHAN PRIVATE UNIVERSITIES' LAWS (AMENDMENT) BILL, 2018

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Private Universities' Laws.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Private Universities' Laws (Amendment) Act, 2018.

(2) It shall come into force at once.

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

a. "Private University Law" means a Private University Act specified in the Schedule; and
b. "Schedule" means the Schedule to this Act.

3. Amendment of section 13 of Private Universities' Laws.- For the existing section 13 of the Private Universities' Laws, the following shall be substituted, namely:-

"**13. The President.-** (1) The President shall be appointed by the Chairperson from a panel of not less than three and not more than five persons recommended by the Board of Management.

(2) No person shall be eligible to appoint as President unless he is a distinguished academician having a minimum of ten years experience as Professor in a university or college or ten years of experience in an equivalent position in a reputed research and/or academic administrative organization.

(3) The term of the office of the President shall be three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier:

Provided that the same person shall be eligible for reappointment:

Provided further that a President shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon the office.

(4) For the purpose of selection of the President, the Board of Management shall invite applications from eligible persons through a public notice and while considering the names of persons to be appointed as President, the Board of Management shall give proper weightage to academic excellence, exposure to the higher education system in the country and adequate experience in academic and administrative governance and record its findings in writing and enclose the same with the panel to be submitted to the Chairperson.

(5) Any vacancy in the office of President shall be filled within six months from the date of such vacancy.

(6) The President shall be the principal executive and academic officer of the University and shall exercise general superintendence and control over the affairs of the University and shall execute the decisions of the authorities of the University.

(7) The President shall preside at the convocation of the University in the absence of the Chairperson.

(8) If, in the opinion of the President, it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any other authority by or under this Act, he may take such action as he deems necessary and shall at the earliest opportunity thereafter report his action to such officer or authority as would have in the ordinary course dealt with the matter:

Provided that if, in the opinion of the officer or authority concerned, such action should not have been taken by the President then such case shall be referred to the Chairperson, whose decision thereon shall be final:

Provided further that where any such action taken by the President affects any person in the service of the University, such person shall be entitled to prefer, within three months from the date on which such action is communicated to him, an appeal to the

Board of Management and the Board of Management may confirm or modify or reverse the action taken by the President.

(9) If, in the opinion of the President, any decision of any authority of the University is outside the powers conferred by this Act or Statutes, Ordinances, Regulations or rules made thereunder or is likely to be prejudicial to the interests of the University, he shall direct the authority concerned to revise its decision within fifteen days from the date of its decision and in case the authority refuses or fails to revise such decision, then such matter shall be referred to the Chairperson and his decision thereon shall be final.

(10) The President shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed by the Statutes or the Ordinances.

(11) If the Chairperson is satisfied, on an enquiry made or caused to be made on a representation made to him or otherwise, that the continuance of President in his office is prejudicial to the interests of the University or the situation so warrants, he may, by an order in writing and stating the reasons therein for doing so, ask the President to relinquish his office from such date as may be specified in the order:

Provided that before taking an action under this sub-section, the President shall be given an opportunity of being heard.".

4. Amendment of Schedule-II, Rajasthan Act No. 33 of 2013.- In Schedule-II of the OPJS University, Churu Act, 2013 (Act No. 33 of 2013), the existing Entry No. 6 shall be deleted.

5. Amendment of preamble, Rajasthan Act No. 26 of 2011.- In the Preamble of the ICFAI University, Jaipur Act, 2011 (Act No. 26 of 2011), hereinafter referred to as the principal Act, for the existing expression "Institute of Chartered Financial Analysts of India (ICFAI)" wherever occurring, the expression "ICFAI Society" shall be substituted.

6. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 26 of 2011.- In clause (u) of section 2 of the principal Act, for the existing expression "Institute of Chartered Financial Analysts of India (ICFAI)", the expression "ICFAI Society" shall be substituted.

SCHEDULE

(See section 3)

S. No.	Title	Act No.
1.	The Sir Padampat Singhania University, Udaipur Act,2008	4 of 2008
2.	The Jaipur National University, Jaipur Act, 2008	5 of 2008
3.	The Singhania University, Pacheri Bari (Jhunjhunu) Act, 2008	6 of 2008
4.	The NIMS University Rajasthan, Jaipur Act, 2008	7 of 2008
5.	The Amity University Rajasthan, Jaipur Act, 2008	8 of 2008
6.	The Suresh Gyan Vihar University, Jaipur Act, 2008	16 of 2008
7.	The Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur Act, 2008	17 of 2008
8.	The Bhagwant University, Ajmer Act, 2008	18 of 2008
9.	The Jagan Nath University, Jaipur Act, 2008	19 of 2008
10.	The Mahatma Jyoti Rao Phoole University, Jaipur Act, 2009	3 of 2009
11.	The Mewar University, Chittorgarh Act, 2009	4 of 2009
12.	The Shri Jagdish Prasad Jhabarmal Tibrewala University, Chudela (Jhunjhunu) Act, 2009	5 of 2009
13.	The Jodhpur National University, Jodhpur Act, 2009	6 of 2009
14.	The Shridhar University Bigodna (Jhunjhunu) Act, 2010	4 of 2010
15.	The NIIT University, Neemrana (Alwar) Act, 2010	5 of 2010
16.	The Homoeopathy University, Jaipur Act, 2010	6 of 2010
17.	The Dr.K.N.Modi University, Newai (Tonk) Act, 2010	8 of 2010

18.	The Pacific Academy of Higher Education and Research University, Udaipur Act, 2010	10 of 2010
19.	The Raffles University, Neemrana (Alwar) Act, 2011	3 of 2011
20.	The J.K.Lakshmipat University, Jaipur Act, 2011	19 of 2011
21.	The Pratap University, Jaipur Act, 2011	20 of 2011
22.	The Manipal University, Jaipur Act, 2011	21 of 2011
23.	The Mahatma Gandhi University of Medical Sciences and Technology, Jaipur Act, 2011	22 of 2011
24.	The Sunrise University, Bagad Rajput (Alwar) Act, 2011	25 of 2011
25.	The ICFAI University, Jaipur Act, 2011	26 of 2011
26.	The Geetanjali University, Udaipur Act, 2012	4 of 2012
27.	The University of Engineering and Management, Jaipur Act, 2012	5 of 2012
28.	The Maharaj Vinayak Global University, Jaipur Act, 2012	6 of 2012
29.	The VIT University, Jaipur Act, 2012	11 of 2012
30.	The Career Point University, Kota Act, 2012	13 of 2012
31.	The Sangam University, Bhilwara Act, 2012	14 of 2012
32.	The JECRC University, Jaipur Act, 2012	15 of 2012
33.	The Poornima University, Jaipur Act, 2012	16 of 2012
34.	The Mody University of Science and Technology, Lakshmangarh (Sikar) Act, 2013	29 of 2013
35.	The Tantia University, Sri Ganganagar Act, 2013	32 of 2013
36.	The OPJS University, Churu Act, 2013	33 of 2013
37.	The Maulana Azad University, Jodhpur Act, 2013	35 of 2013
38.	The IIHMR University, Jaipur Act, 2014	3 of 2014
39.	The Pacific Medical University, Udaipur Act, 2014	6 of 2014
40.	The Madhav University, Pindwara (Sirohi) Act, 2014	7 of 2014
41.	The RNB Global University, Bikaner Act, 2015	20 of 2015

42.	The Bhupal Nobles' University, Udaipur Act, 2015	23 of 2015
43.	The Maharishi Arvind University, Jaipur Act, 2015	25 of 2015
44.	The Sai Tirupati University, Udaipur Act, 2016	9 of 2016
45.	The Nirwan University, Jaipur Act, 2017	2 of 2017
46.	The University of Technology, Jaipur Act, 2017	28 of 2017

———————

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to implement the requirement of minimum qualifications and experience, determined by the UGC for the post of Vice-chancellor, in respect of the post of President in private universities, section 13 of all 46 Private Universities Acts of Rajasthan is proposed to be amended.

It is proposed to change the name of the sponsoring body "Institute of Chartered Financial Analysts of India" of the ICFAI University established under the ICFAI University, Jaipur Act, 2011 to "ICFAI Society" and accordingly the preamble and section 2 (u) of the Act are proposed to be amended.

From Schedule-II of the OPJS University, Churu Act, 2013 (Act No. 33 of 2013), the entry no. 6 is also proposed to be deleted in compliance of decision passed by Hon'ble Rajasthan High Court, Jodhpur on 09.01.2017 in D.B. Civil Writ Petition No. 7062/2015 the Institute of Chartered Accountants of India v/s State of Rajasthan, the OPJS University, Churu and others.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.
Hence the Bill.

किरण माहेश्वरी,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN PRIVATE UNIVERSITIES' LAWS

XX XX XX XX XX XX XX

13. The President.- (1) The President shall be appointed by the Chairperson from a panel of three persons recommended by the Board of Management and shall, subject to the provisions contained in sub-section (8), hold office for a term of three years:

Provided that after expiry of the term of three years a person shall be eligible for re-appointment for another term of three years:

Provided further that a President shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon the office.

(2) Any vacancy in the office of President shall be filled within six months from the date of such vacancy.

(3) The President shall be the principal executive and academic officer of the University and shall exercise general superintendence and control over the affairs of the University and shall execute the decisions of the authorities of the University.

(4) The President shall preside at the convocation of the University in the absence of the Chairperson.

(5) If, in the opinion of the President, it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any other authority by or under this Act, he may take such action as he deems necessary and shall at the earliest opportunity thereafter report his action to such officer or authority as would have in the ordinary course dealt with the matter:

Provided that if, in the opinion of the officer or authority concerned, such action should not have been taken by the President then such case shall be referred to the Chairperson, whose decision thereon shall be final:

Provided further that where any such action taken by the President affects any person in the service of the University, such person shall be entitled to prefer, within three months from the date on which such action is communicated to him, an appeal to the Board of Management and the Board of Management may confirm or modify or reverse the action taken by the President.

(6) If, in the opinion of the President, any decision of any authority of the University is outside the powers conferred by this Act or Statutes, Ordinances, Regulations or rules made there under or is likely to be prejudicial to the interests of the University, he shall direct the authority concerned to revise its decision within fifteen days from the date of its decision and in case the authority refuses or fails to revise such decision, then such matter shall be referred to the Chairperson and his decision thereon shall be final.

(7) The President shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed by the Statutes or the Ordinances.

(8) If the Chairperson is satisfied, on an enquiry made or caused to be made on a representation made to him or otherwise, that the continuance of President in his office is prejudicial to the interests of the University or the situation so warrants, he may, by an order in writing and stating the reasons therein for doing so, ask the President to relinquish his office from such date as may be specified in the order:

Provided that before taking an action under this sub-section, the President shall be given an opportunity of being heard.

XX XX XX XX XX XX XX

EXTRACTS TAKEN FROM THE OPJS UNIVERSITY, CHURU ACT, 2013
(Act No. 33 of 2013)

XX XX XX XX XX XX XX

SCHEDULE- II

Disciplines in which University shall undertake study and research:

1. Engineering and Technology
2. Architecture and Town Planning
3. Computer Science and Application
4. Basic and Applied Science
5. Management and Commerce
6. Charted Accountant and Company Secretarial Practice
7. International and National Trade and Business Studies
8. Humanities and Social Sciences
9. Arts, Visual and Fine Arts
10. Magic and Folk Art
11. Fashion Design and Technology
12. Law and Legal Studies
13. Education and Physical Education
14. Library Science and Information Technology
15. Journalism and Mass Communication
16. Electronic and Print Media
17. Pharmaceutical Science and Nursing
18. Environmental Science
19. Earth Science
20. Life Sciences and Yoga
21. Space and Astronomical Sciences
22. Food and Nutrition Sciences
23. Medical and Medicine Sciences
24. Ayurvedic Sciences
25. Physiotherapy
26. Homeopathy Sciences
27. Veterinary Sciences
28. Liberal Sciences
29. Indian and Foreign Languages
30. Indian Traditional Mythology and Vedic Science

XX XX XX XX XX XX XX

EXTRACTS TAKEN FROM THE ICFAI UNIVERSITY, JAIPUR ACT, 2011

(Act No. 26 of 2011)

XX XX XX XX XX XX XX

An
Act

to provide for establishment and incorporation of the ICFAI University, Jaipur in the State of Rajasthan and matters connected therewith and incidental thereto.

Whereas, with a view to keep pace with the rapid development in all spheres of knowledge in the world and the country, it is essential to create world level modern research and study facilities in the State to provide state of the art educational facilities to the youth at their door steps so that they can make out of them human resources compatible to liberalized economic and social order of the world;

And whereas, rapid advancement in knowledge and changing requirements of human resources makes it essential that a resourceful and quick and responsive system of educational research and development be created which can work with entrepreneurial zeal under an essential regulatory set up and such a system can be created by allowing the private institutions engaged in higher education having sufficient resources and experience to establish universities and by incorporating such universities with such regulatory provisions as ensure efficient working of such institutions;

And whereas, the Institute of Chartered Financial Analysts of India (ICFAI), Hyderabad is a Public Trust registered under the Andhra Pradesh (Telangana areas) Public Societies Registration Act, 1350 Fasli (Act I of 1350 F) in the office of Registrar of Societies, Hyderabad vide Registration No. 1602 of 1984 dated 20-10-1984.

And whereas, the said Institute of Chartered Financial Analysts of India (ICFAI), Hyderabad has set up educational

infrastructures, both physical and academic, as specified in Schedule I, at Village Jamdoli, Tehsil Jaipur, District Jaipur in the State of Rajasthan and has agreed to invest the said infrastructure in a University for research and studies in the disciplines specified in Schedule II and has also deposited an amount of rupees two crores to be utilized in establishment of an endowment fund in accordance with the provisions of this Act;

And whereas, the sufficiency of the above infrastructure has been got enquired into by a committee, appointed in this behalf by the State Government consisting of the Vice-chancellor, University of Rajasthan, Jaipur, Commissioner, College Education Rajasthan, Jaipur, Dean, Faculty of Law, University of Rajasthan, Jaipur, Director, Malviya National Institute of Technology, Jaipur and Dean, Faculty of Education, University of Rajasthan, Jaipur;

And whereas, if the aforesaid infrastructure is utilized in incorporation as a University and the said Institute of Chartered Financial Analysts of India (ICFAI), Hyderabad is allowed to run the University, it would contribute in the academic development of the people of the State;

XX XX XX XX XX XX XX

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) to (t) xx xx xx xx xx xx xx

(u) "Sponsoring Body" means the Institute of Chartered Financial Analysts of India (ICFAI), Hyderabad, a Public Trust registered under the Andhra Pradesh (Telangana areas) Public Societies Registration Act, 1350 Fasli (Act I of 1350 F) in the office of Registrar of Societies, Hyderabad vide Registration No. 1602 of 1984 dated 20.10.1984;

(v) to (za) xx xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

2018 का विधेयक सं. 14

राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

निजी विश्वविद्यालयों की विधियों को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

दिनेश कुमार जैन,
सचिव।

(किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 14 of 2018

THE RAJASTHAN PRIVATE UNIVERSITIES' LAWS (AMENDMENT) BILL, 2018

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)
RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Private Universities' Laws.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Dinesh Kumar Jain,
Secretary.

(**Kiran Maheshwari, Minister-Incharge**)